<u>प्रेस नोट दिनांक 20.07.2026</u>

<u>थाना बारादरी जनपद बरेली</u>

<u>थाना बारादरी #bareillypolice द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त को 34.800 किग्रा0 गांजा (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख 50 हजार रूपये) व परिवहन में प्रयुक्त 01 गाड़ी सहित गिरफ्तार किया गया।</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-</u>

दिनांक 20.07.2026 को 02 अभियुक्त 1. जय जनेजा पुत्र सोनू जनेजा नि0 राजेन्द्र नगर थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र 20 वर्ष 2. अरुण राजपूत पुत्र सालिकराम नि० कालीबाडी मन्दिर के सामने वाली गली थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 23 वर्ष को बनखण्डी नाथ मंदिर के पास से 34.800 किग्रा0 गांजा (कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये) व परिवहन में प्रयुक्त 01 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 958/2026 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

<u>सूचना एवं पुलिस टीम कार्यवाहीः-</u>

दिनांक 20.07.2026 को प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह, थाना बारादरी, मय उ0नि0 कुशलपाल सिंह, उ0नि0 सतेन्द्र कुमार तथा हमराही पुलिस बल (का0 3286 पवन नागर, का0 978 मयंक कुमार एवं का0 1684 उत्सव) के साथ वांछित अभियुक्तों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग हेतु थाना से रवाना हुए। गश्त के दौरान पुलिस टीम पीलीभीत बाईपास रोड स्थित बनखंडीनाथ मंदिर के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सुरेश शर्मा नगर चौराहे की ओर से एक कार आती दिखाई दी। पुलिस द्वारा कार चालक को रुकने का संकेत दिया गया, किन्तु पुलिस चेकिंग देखकर चालक एवं उसमें सवार व्यक्ति कार रोककर उतर गए तथा वापस भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल पीछा कर दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जबकि एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों की नियमानुसार तलाशी लेने पर उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 958/2026 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है । पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि फरार हुए उनके साथी का नाम अमित सिंह पुत्र ओमकार, निवासी संजयनगर, थाना बारादरी, जनपद बरेली है। फरार अभियुक्त अमित सिंह की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तथा उसे शीघ्र गिरफ्तार कर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

<u>घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-</u>

मु0अ0सं0 958/2026 धारा 8/18/29/60 NDPS ACT थाना बारादरी बरेली

<u>पूछताछः-</u>

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र से गांजा लाकर बरेली में बेचते हैं। उन्होंने बताया कि वे अलग-अलग बसों से दिल्ली से गांजा लेकर आते हैं तथा यहां पहुंचने के बाद उसी कार के माध्यम से उसकी सप्लाई करते हैं। अभियुक्तों के अनुसार अमित सिंह पुत्र ओमकार, निवासी संजयनगर, थाना बारादरी, जनपद बरेली उन्हें धन का लालच देकर दिल्ली से गांजा मंगवाता था। गांजा बेचने के उपरांत अमित सिंह उन्हें मेहनताना/धनराशि देता था, जिसे वे आपस में बांट लेते थे। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि अमित सिंह उक्त गांजा किस व्यक्ति से खरीदता था तथा किन लोगों को बेचता था, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। घटना के समय कार अमित सिंह चला रहा था। पुलिस टीम को देखकर वह कार से उतरकर मौके से फरार हो गया। उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1. जय जनेजा पुत्र सोनू जनेजा नि0 राजेन्द्र नगर थाना प्रेमनगर जनपद बरेली उम्र 20 वर्ष
2. अरुण राजपूत पुत्र सालिकराम नि० कालीवाडी मन्दिर के सामने वाली गली थाना बारादरी जनपद बरेली उम्र 23 वर्ष

<u>बरामदगी</u>

1. 34.800 किग्रा0 अवैध गांजा (कीमत लगभग 10 लाख 50 हजार रूपये)
2. 01 कार

<u>पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह थाना बारादरी बरेली ।
2. उ0नि0 कुशलपाल सिह थाना बारादरी बरेली ।
3. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना बारादरी बरेली ।
4. का0 3286 पवन नागर थाना बारादरी बरेली ।
5. का0 978 मयंक कुमार थाना बारादरी बरेली ।
6. का0 1684 उत्सव थाना बारादरी बरेली ।